तारीख हुक्म	राजेन्द्र कुमार बनाम [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दावा प्र.नं. - 77/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
03-08-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/8/23 को पेश हो।	
18-8-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।	
15.09.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस एकपक्षयीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणा दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 15/09/23 ([illegible]) सहाय[illegible] [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
77 / 2023	2023 / 158	17.05.2023	15.09.2023

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र चौथुराम उम्र 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

—— वादी——

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
2. पटवारी पटवार हल्का हाथीदेह

——प्रतिवादीगण——

3. इन्द्राज पुत्र चौथुराम उम्र 32 वर्ष
4. महेन्द्र कुमार पुत्र चौथुराम उम्र 29 वर्ष
5. धर्मपाल पुत्र चौथुराम उम्र 18 वर्ष
6. निकिता पुत्री चौथुराम उम्र 16 वर्ष नबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संज्या देवी पत्नी चौथुराम उम्र 50 वर्ष
7. संज्या देवी पत्नी चौथुराम उम्र 50 वर्ष
8. शंकर पुत्र जीताराम उम्र 53 वर्ष
9. संवतराम पुत्र जीताराम उम्र 46 वर्ष
10. बनवारीलाल पुत्र जीताराम उम्र 40 वर्ष
11. सरस्वती देवी पत्नि जीताराम उम्र 75 वर्ष जाति गुर्जर निवासी सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— तरतीबि प्रतिवादीगण——

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित : –

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 वादी अभिभाषक।

श्री अभिषेक कुमावत द्वितीय एड0 प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–1

वादपत्र बाबत इस्तकार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 0.53है0, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 845 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 846 रकबा 0.44है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.23है0 अवस्थित तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राज. है। जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी एवं तरतीबि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के मृतक पिता/पति/दादा/श्वसुर जीताराम उर्फ प्रभूराम पुत्र गोपी के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड है । जिसके हिस्सा1/10 के वादी व तरतीबि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7, हिस्सा 1/10–1/10 भाग के तरतीबि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 काबिज का त चले आ रहे है । वादी एवं तरतीबि प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है , जिनका सजरा खानदान वादपत्र में अंकितानुसार है । उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में वादी के दादा का नाम प्रभूराम पुत्र गोपी चला आ रहा है । जबकि अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात् में वादी के दादा का नाम जीताराम पुत्र गोपी चला आ रहा है । उसी अनुरूप वादी के पिता चौथुराम एवं तरतीबि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 की वल्दियत /पति के रूप सरकारी दस्तावेजात में जीताराम ही नाम दर्ज चला आ रहा है । जीताराम व प्रभूराम एक ही व्यक्ति है । गांव में वादी के दादा का बोलता नाम प्रभूराम था । सरकारी दस्तावेजात में वादी के दादा का नाम जीताराम दर्ज चला आ रहा है । गांव में बोलते नाम के अनुसार ही वादी के दादा के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रभूराम के नाम से दर्ज करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:43 IST
Reason: Self Attested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

परन्तु वादी के दादा ने अपने पुत्रान वादी के पिता चौथुराम व तरतीबि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के सरकारी दस्तावेज व शैक्षणिक दस्तावेजात मे वल्दियत के रूप में जीताराम नाम दर्ज करवा दिया एवं वादी के दादा के सरकारी दस्तावेजात में भी जीताराम नाम दर्ज चला आ रहा है । जिसके कारण उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी एवं तरतीबि प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 के नाम दर्ज नही हो पा रही तथा वे सरकारी अनुदान सहायता आदि भी प्राप्त नही कर पा रहे । इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रभुराम पुत्र गोपी की जगह जीताराम पुत्र गोपी दुरस्त किया जाकर उक्त भूमि के हिस्सा1/10 के वादी व तरतीबि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को, हिस्सा 1/10–1/10 भाग का तरतीबि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी ने दिनांक 05.05.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान में उक्त भूमि की खातेदारी दुरस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया । जिस पर पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का आदि द्वारा उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करने की रिपोर्ट पेश कर दी । परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश से उक्त भूमि की खातेदारी दुरस्त करके वादी एवं तरतीबि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज होने बाबत अवगत करवाने पर वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिमी हुआ है ।वादी द्वारा प्रकरण में अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 0.53है0, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 845 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 846 रकबा 0.44है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.23है0 अवस्थित तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राजस्थान की खातेदारी प्रभुराम पुत्र गोपी की जगह जीताराम पुत्र गोपी दुरस्त किया जाकर उक्त भूमि के हिस्सा1/10 का वादी व तरतीबि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को, हिस्सा 1/10–1/10 भाग का तरतीबि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण कोजरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 की ओर से वकील अभिषेक कुमावत द्वितीय ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण में कोई जबाब पेश नही करना जाहिर किया। प्रकरण में वादी ने साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–1 के रूप में स्वयं को, पीडब्ल्यू–2 हेमराज, पीडब्ल्यू–3 छीतर के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये, जिनको शामिल पत्रावली किया। वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, बिजली बिल, पटवारी हल्का हाथीदेह, गिरदावर हल्का झाडली की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.05.2023 इत्यादि का अवलोकन किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट क्रमांक 23 दिनांक 05.05.2023 का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 845 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 846 रकबा 0.44 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.23 है0 अवस्थित तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राजस्थान की खातेदारी प्रभुराम पुत्र गोपी की जगह जीताराम पुत्र गोपी दुरस्त किया जाकर उक्त भूमि के हिस्सा1/10 का वादी व तरतीबि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को, हिस्सा 1/10–1/10 भाग का तरतीबि प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित करवाना चाहता है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से वादी का का वादपत्र स्वीकार होने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर [illegible] डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:43 IST
Reason: SelfAttested

::क्रियात्मक आदेश::

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त

कृषि भूमि खसरा नम्बर 843 रकबा 0.53है0, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 845 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 846 रकबा 0.44है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.23है0 अवस्थित तन ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राजस्थान की खातेदारी प्रभुराम पुत्र गोपी की जगह जीताराम पुत्र गोपी दुरस्त किया जाकर उक्त भूमि के हिस्सा1/10 का वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को, हिस्सा 1/10–1/10 भाग का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

15/09/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक **15.09.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/09/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.10 12:54:43 IST
Reason: SelfAttested